<u>न्यायालय माननीय सत्र न्यायालय देवरिया।</u>

एस.टी. नं.- 566/2023

<u>सरकार बनाम जुगानी उर्फ योगेन्द्र</u>

धारा- 323,504,506,307 आई.पी.सी.
व 4/25 आयुध अधिनियम
अपराध सं०-408/2022
थाना- रूद्रपुर, जिला- देवरिया।

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 227 दं.प्र.सं.</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अर्जुन उर्फ गगन चौहान द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 227 दं.प्र.सं., इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा अमरनाथ चौहान द्वारा घटना दिनांक- 15.10.2022 समय शाम में 6.30 बजे के सम्बन्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक- 20.10.2022 समय 19.57 बजे पंजीकृत करायी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मुहल्ले की पार्टीबन्दी व पट्टीदारी के रंजिश के कारण फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही भी जान से मारने की नियत से हमला करने का उल्लेख नहीं है। वास्तविकता यह है कि दिनांक- 15.10.2022 को समय करीब 8 बजे रात्रि बच्चों के विवाद को लेकर रामअशीष, दीनानाथ, अमरनाथ, पिंकी देवी एक राय व गोल बनाकर लाठी, डण्डे से लैस होकर प्रार्थी/अभियुक्त के दरवाजे पर आकर गाली देने लगे। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता ने गाली देने से मना किया तो सभी लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ा लिए। जान बचाकर वह अपने घर के अन्दर भागे तो सभी लोग प्रार्थी/अभियुक्त के घर में घुसकर उसके पिता को मारने-पीटने लगे। प्रार्थी/अभियुक्त अपने पिता को बचाने घर के अन्दर गए तो उसे भी बुरी तरह से लाठी, डण्डा, लात, मुक्का व थप्पड़ से मारे-पीटे। उनके मारने से प्रार्थी/अभियुक्त के बांये पैर की हड्डी टूट गई। प्रार्थी/अभियुक्त को बचाने गई उसकी पत्नी अंगीरा आयी तो उक्त मुल्जिमान उसे भी घर के अन्दर मारे-पीटे। प्रार्थी/अभियुक्त जब थाने पर रपट करने गया तो पुलिस ने पकड़कर 107,116,151 दं.प्र.सं. में चालान कर दिया। जब वादी को प्रार्थी/अभियुक्त की चोट व पैर टूटने की जानकारी हुई तो उसने भी फर्जी मेडिकल बनवाकर उसके विरुद्ध थाने पर रपट दर्ज करा दी। प्रार्थी/अभियुक्त को जेल से तलब कराकर विवेचक थाने पर ले गए तथा थाने पर पहले से रखा तलवार उसके पास से दिखाकर उसके ऊपर दफा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विवेचक द्वारा विवेचना में स्वतंत्र गवाहों के जो बयान अंकित किये गये हैं, उसमें किसी भी गवाह ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तथाकथित घायल व उसके परिवार के किसी भी सदस्य को तलवार से मारने का आरोप नहीं लगाया है। तथाकथित घायल की कोई अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पत्रावली में

संलग्न नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अतः उसे उन्मोचित किये जाने की याचना की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रथम सूचनाकर्ता/चोटिल अमरनाथ चौहान द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 161 दं.प्र.सं. में प्रथम सूचनाकर्ता में किये गये कथनों का समर्थन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के ऊपर धारदार हथियार से चोट पहुँचाये, जिससे उसकी गर्दन पर चोटें आई तथा उसी समय वादी को बचाने उसके पिता रामअशीष व भाई दीनानाथ पहुँचे तो उन्हें भी मारे-पीटे एवं जान से मारने की धमकी दिए। चोटिल अमरनाथ के इंजरी रिपोर्ट में उसके गले के दाहिने तरफ कटा हुआ घाव पाया गया है तथा चोटिल दीनानाथ के शरीर पर भी पाँच चोटें तथा चोटिल रामअशीष के शरीर पर भी चोटें पायी गयी है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से तलवार की बरामदगी हुई है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 227 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अर्जुन उर्फ गगन चौहान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 227 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक- 05.01.2024 को प्रस्तुत हो।

दिनांकः-12.12.2023

सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।